I Patera

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

1

आपराधिक प्रक0क्र0-1098/15

संस्थित दिनाँक-03.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद चौराहा जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

उदयवीर पुत्र शोभाराम धानुक उम्र 37 साल निवासी वार्ड क० ४, आफिसर कॉलोनी के पीछे गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

__: निर्णय ::-(आज दिनांक 04.10.2017 को घोषित)

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 07.11.15 को 15:15 बजे स्थान महावीर धर्मकॉटा के पास गोहद में ऑटो क्रमांक एम0पी0 30 आर0542 को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा वाहन का परिचालन बिना बीमा के किया।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहतगण द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादिवं की धारा 337, 338 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 07.11.15 को फरियादी राधेश्याम गोहद चौराहा से गोहद के लिए ऑटो क्र0 एम0पी0 30 आर 0542 से अन्य सवारी वंदना राठौर, गीता देवी, सरला राठौर, वीरेन्द्र के साथ जा रहा था। दोहपर करीब 3:15 बजे महावीर धर्मकांटे के पास आया तो ऑटो चालक ने ऑटो को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट दिया जिससे उसे व ऑटो में बैठी सवारी वंदना, गीतादेवी आदि को चोटें आई। उक्त सूचना से देहाती नालिसी लेखबद्ध की गयी। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अप0क्0—257/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, वाहन

जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना एवं झूंडा फंसाया जाना बताया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1—क्या अभियुक्त ने दिनांक 07.11.15 को 15:15 बजे स्थान महावीर धर्मकॉटा के पास गोहद में ऑटो क्रमांक एम0पी0 30 आर0542 को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2—क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का परिवहन बिना बीमा के किया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में राधेश्याम अ०सा० 1, वंदना अ०सा० 2, गीता अ०सा० 3, वीरेन्द्रसिंह अ०सा० 4, श्रीमती सरला राठौर अ०सा० 5, किशनलाल अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

//विचारणीय प्रश्नों पर निष्कर्ष //

7. फरियादी राधेश्याम अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि घटना करीब डेढ साल पहले दिन के 3:15 बजे की है। वे गोहद चौराहा से गोहद जा रहे थे। उनके साथ ऑटो में वंदना, गीता, वीरेन्द्र तथा सरला भी बैठे थे। ऑटो महावीर कांटे के पास आकर पलट गया था जिससे उसकी कमर व कंघे में मुदी चोट आई थी। उसके साथ बैठी सवारी वंदना और गीता को भी चोटें आई थी। साक्षी यह कथन करता है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट लिखाई थी, देहाती नालिसी प्र0पी० 1 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करता है। ऑटो का नंबर एम०पी० 30 आर 0542 होना बताता है। किन्तु अभिसाक्ष्य में कथित ऑटो के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में कथन नहीं करता बल्कि पक्षविरोधी घोषितकर अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्नों में अभियुक्त के द्वारा उक्त ऑटो को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट देने के संबंध में सुझाव दिए जाने पर साक्षी द्वारा उक्त तथ्य से इंकार किया है। साक्षी ने देहाती नालिसी प्र0पी० 1 में बी से बी भाग पर कथित ऑटो चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर ऑटो पलट देने के संबंध में तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है। साक्षी ने पुलिस कथन प्र0पी० 3 में भी ए से ए भाग पर उक्त तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है। साक्षी ने पुलिस कथन प्र0पी० 3 में भी ए से ए भाग पर उक्त तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है।

- 8. घटना में आहत वंदना अ०सा० 2, गीता अ०सा० 3, वीरेन्द्र अ०सा० 4 तथा सरला अ०सा० 4 ने अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी के समान ही ऑटो से गोहद चौराहा से गोहद आते समय ऑटो महावीर धर्मकांटे के पास पलट जाने का कथन किया है। उक्त साक्षियों ने अपने कथन में कथित ऑटो के चालक द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर पलट देने के संबंध में तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है। साक्षियों ने पुलिस कथन कमशः प्र०पी० 4 लगायत 7 में विनिर्दिष्ट ए से ए भाग पर अभियुक्त के द्वारा आटो को महावीर धर्मकांटे के पास तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट देने के तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है। सरला अ०सा० 5 ने पुलिस कथन प्र०पी० 7 में बी से बी भाग पर अभियुक्त के अपराध में संलिप्त होने के तथ्य से इंकार किया है। फरियादी राधेश्याम अ०सा० 1, वंदना अ०सा० 2, गीता अ०सा० 3, वीरेन्द्र अ०सा० 4 तथा श्रीमती सरला अ०सा० 5 सभी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त के कथित ऑटो चालक होने के तथ्य से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। इस प्रकार से घटना के सर्वोत्तम साक्षीगण अर्थात आहतगण द्वारा अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्ता के तथ्य से इंकार किया जाना अभियोजन के मामले को दुर्बल बना देते हैं।
- 9. किशनलाल अ०सा० 6 जो कि अनुसंधानकर्ता हैं वे अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी राधेश्याम की सूचना से देहाती नालिसी प्र0पी० 1 लेख किए जाने और उस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं, तत्पश्चात् घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 8 लेखबद्ध किए जाने जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। उक्त अनुसंधानकर्ता की अभिसाक्ष्य में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में मामले का आधार साक्षीगण के कथन बताए गए हैं जिसके आधार पर दिनांक 08.11.15 को अभियुक्त से उक्त ऑटो जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी० 10 बनाए जाने का कथन किया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि प्र0पी० 10 का जब्ती पत्रक घटना स्थल पर निर्मित न होकर थाना गोहद चौराहा में लेख किया जाना दर्शाया गया है। ऐसी दशा में उक्त जब्ती पत्रक के आधार पर अभियुक्त से कथित ऑटो एम०पी० 30 आर 0542 जब्त हो जाने से घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर पलट देने के संबंध में तथ्य प्रमाणित नहीं हो जाते हैं।
- 10. प्रकरण में अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आहतगण का अभियुक्त से राजीनामा हो गया है इस कारण से उनके द्वारा अभियुक्त की संलिप्तता का समर्थन नहीं किया जा रहा है। अभियोजन के तर्क के संबंध में ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन को अपना मामला सारवान व विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित करना होता है, अटकलों एवं अनुमानों के आधार पर कोई दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं हो सकती है। किसी भी आहत एवं सर्वोत्तम साक्षी ने अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता का समर्थन नहीं किया है न हीं यह कथन किया है कि वाहन किस रीति से चलाया जा रहा था। संहिता की धारा 279 के अपराध को प्रमाणित किए जाने के लिए लोक मार्ग पर

उपेक्षा अथवा उतावलेपन से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किए जाने का तथ्य प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। जहां तक देहाती नालिसी प्र0पी0 1, प्राथमिकी प्र0पी0 8 तथा धारा 161 दप्रस के साक्षियों के प्र0पी0 3 लगायत 7 के पुलिस कथन का प्रश्न हैं तो उक्त दस्तावेज सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं उनका उपयोग साक्षी के पूर्वतन कथन में विरोधाभास व लोप के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है।

- 11. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 07.11.15 को 15:15 बजे स्थान महावीर धर्मकॉटा के पास गोहद में ऑटो क्रमांक एम०पी० 30 आर0542 को तेज व लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा वाहन का परिचालन बिना बीमा के किया। अतः अभियुक्त को धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 12. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगा।
- 13. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 14. अभियुक्त की निरोधाविध यदि हो तो उसके संबंध में धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश